

# कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ (पटना)।

(आपूर्ति शाखा)

(प्रेस-विज्ञप्ति संख्या-01/2017)

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1222, दिनांक 08.03.2017 द्वारा संसूचित माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या 4453/2016 के सन्दर्भ में दिनांक 14.12.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं० 2342 दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानों के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकान की रिक्तियों का रोस्टर के आधार पर नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए **बाढ़ अनुमण्डल** अन्तर्गत संबंधित पंचायत/वार्ड (नगर क्षेत्र में) में चिन्हित व्यापार स्थल हेतु कुल **89** रिक्त दूकानों की नई नियुक्ति के लिए योग्य आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

विभागीय पत्रांक 1571/खाद्य, दिनांक 28.03.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु नये सिरे से आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाना है। तद्आलोक में बाढ़ अनुमंडल अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली की रिक्त दुकानों की नई अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक 18.02.2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन को विलोपित किया जाता है। वैसे आवेदक जो पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र अनुमंडल कार्यालय, बाढ़ में जमा कर चुके हैं, वे पुनः नये सिरे से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन पत्र जमा करेंगे। पूर्व के सभी आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं।

**01 आवेदन पत्र जमा करने की विधि एवं फार्म:-** पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन-पत्र व्यक्ति से विहित अनुसूची-01 तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ से विहित अनुसूची-02 में अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के कार्यालय में दिनांक 10.08.2017 तक कार्यालय अवधि में निर्धारित कॉउंटर पर बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त कराया जा सकेगा। जिस रिक्ति के विरुद्ध आवेदन दिया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पर रहना चाहिए। आवेदन प्रपत्र अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

**02 आयु/शैक्षणिक योग्यता:-**

- (क) न्यूनतम आयु- 18 वर्ष।
- (ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- मैट्रिक पास।
- (ग) कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (घ) कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ङ) समान शैक्षणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (च) समान शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांक की समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

**03 उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएँ (आरक्षण के प्रावधानान्तर्गत) :-**

- (क) स्वयं सहायता समूह,
- (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ,
- (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ,
- (घ) शिक्षित बेरोजगार,
- (ङ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (नगर क्षेत्र) के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

- \* स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहायोग समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाएँ तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहायोग समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।

#### 04 उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएं:-

- (क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
- (ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरहित (Disqualified) रहेंगे।
- (ग) आटा-चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
- (घ) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
- (ङ.) आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी अपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।
- (च) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

**05 चयन प्रक्रिया:-** सभी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक द्वारा कराया जायेगा। जाँचोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे। जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त अनुशंसित आवेदको को मो0 1000/- (एक हजार) रुपये का ट्रेजरी चालान के माध्यम से अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने के उपरान्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

**06 आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि:-** विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भर हुए आवेदन पत्र आवश्यक सभी कागजातों के साथ दिनांक-10.08.2017 की संध्या:-05 बजे तक अनुमण्डल कार्यालय, बाढ़ (पटना) के निर्धारित कॉउंटर पर बंद लिफाफे में या निर्बंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

#### 07 पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	रिक्ति का आरक्षण कोटि
1	2	3	4	6
1	बख्तियारपुर	कालादियारा	कालादियारा	अ०पि०व०
2	बख्तियारपुर	कालादियारा	कालादियारा	अनारक्षित (क्षै० आ० म०)
3	बख्तियारपुर	कालादियारा	कालादियारा	पि० वर्ग
4	बख्तियारपुर	कालादियारा	कालादियारा	अनारक्षित
5	बख्तियारपुर	कालादियारा	ग्यासपुर दियारा	अनु० जाति (क्षै० आ० म०)
6	बख्तियारपुर	मंझौली	शाहपुर	अनारक्षित
7	बख्तियारपुर	हिदायतपुर सैदपुर	हिदायतपुर	अ०पि०व० (क्षै० आ० म०)
8	बख्तियारपुर	हिदायतपुर सैदपुर	हिदायतपुर	अनारक्षित (क्षै० आ० म०)
9	बख्तियारपुर	हिदायतपुर सैदपुर	चकछित्तु	अनु० जाति
10	बख्तियारपुर	विधिपुर नरौली	रामपुर	अनारक्षित

11	बख्तियारपुर	अलीपुर बिहटा	अलीपुर	पि0 वर्ग
12	बख्तियारपुर	अलीपुर बिहटा	अलीपुर	अनारक्षित
13	बख्तियारपुर	डोमा	सालिमपुर-01	अ0पि0व0
14	बख्तियारपुर	मोगलपुरा	लखनपुरा	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
15	बख्तियारपुर	मोगलपुरा	मोगलपुरा	अनु0 जाति
16	बख्तियारपुर	घोसवरी	घोसवरी	अनारक्षित
17	बख्तियारपुर	घोसवरी	घोसवरी	अ0पि0व0
18	बख्तियारपुर	घोसवरी	घोसवरी	अनारक्षित
19	बख्तियारपुर	चम्पापुर	चम्पापुर	पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)
20	बख्तियारपुर	चम्पापुर	देदौर	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
21	बख्तियारपुर	चम्पापुर	देदौर	अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0)
22	बख्तियारपुर	चम्पापुर	देदौर	अनारक्षित
23	बख्तियारपुर	रूपस महाजी	रूपस महाजी	अ0पि0व0 (क्षै0 आ0 म0)
24	बख्तियारपुर	रूपस महाजी	रूपस महाजी	अनारक्षित
25	बख्तियारपुर	चिरैया रूपस	रूपस महाजी	अनु0 ज0 जा0
26	बख्तियारपुर	करनौती	महमदपुर	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
27	बख्तियारपुर	करनौती	महमदपुर	पि0 वर्ग
28	बख्तियारपुर	घॉघ	गेरुआरी	अनारक्षित
29	अथमलगोला	रामनगर दियारा	रामनगर दियारा	अनु0 जाति
30	अथमलगोला	सबनीमा	सबनीमा	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
31	अथमलगोला	सबनीमा	सबनीमा	अ0पि0व0
32	अथमलगोला	सबनीमा	सबनीमा	अनारक्षित
33	अथमलगोला	सबनीमा	चन्दा	पि0 वर्ग की महिला
34	अथमलगोला	उस्मानपुर	बुढरा	अनारक्षित
35	अथमलगोला	उस्मानपुर	उस्मानपुर	अ0पि0व0
36	अथमलगोला	उस्मानपुर	उस्मानपुर	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
37	अथमलगोला	बहादुरपुर	बहादुरपुर	अनु0 जाति
38	अथमलगोला	फुलेलपुर मेउरा	थम्हावाँ	अनारक्षित
39	बेलछी	बराह	बराह	पि0 वर्ग
40	बेलछी	बराह	बराह	अनारक्षित
41	बेलछी	कोरारी	कोरारी	अ0पि0व0 (क्षै0 आ0 म0)
42	बेलछी	कोरारी	कोरारी	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
43	बेलछी	पश्चिमी सकसोहरा	सकसोहरा	अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0)
44	बेलछी	पश्चिमी सकसोहरा	सकसोहरा	अनारक्षित
45	बेलछी	पूर्वी सकसोहरा	गोपाईचक	पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)
46	बेलछी	पूर्वी सकसोहरा	सकसोहरा	अनारक्षित
47	बाढ़	इब्राहिमपुर	इब्राहिमपुर	अ0पि0व0
48	बाढ़	भटगाँव	भटगाँव	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
49	बाढ़	नदावाँ	डुमरिया	अनु0 जाति
50	बाढ़	बेढ़ना पश्चिम	बेढ़ना	अनारक्षित
51	बाढ़	नवादा	नवादा	अ0पि0व0
52	बाढ़	नवादा	नवादा	अनारक्षित
53	बाढ़	शहरी	शहरी	पि0 वर्ग
54	पण्डारक	रैली	लक्ष्मीपुर	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
55	पण्डारक	रैली	पंचमहला	अनु0 जाति
56	पण्डारक	पश्चिमी पण्डारक	पण्डारक	अनारक्षित

57	पण्डारक	पश्चिमी पण्डारक	पण्डारक	अ0पि0व0 (क्षै0 आ0 म0)
58	पण्डारक	पूर्वी पण्डारक	पण्डारक	अनारक्षित
59	पण्डारक	पूर्वी पण्डारक	पण्डारक	अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0)
60	पण्डारक	बिहारी बिगहा	बिहारी बिगहा	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
61	पण्डारक	बिहारी बिगहा	मंझला बिगहा	पि0 वर्ग
62	पण्डारक	कोन्दी	कोन्दी	अनारक्षित
63	पण्डारक	चकजलाल	काजीचक	अ0पि0व0
64	पण्डारक	चकजलाल	चकजलाल	अनारक्षित
65	पण्डारक	बरुआने बथोई	सहजादपुर बैथोई	पि0 वर्ग की महिला
66	घोसवरी	तारतर	तारतर (पार्ट इन मोकामा)	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
67	घोसवरी	तारतर	कड़रा	अनु0 जाति
68	घोसवरी	गोसाईगॉव	गोसाईगॉव	अनारक्षित
69	घोसवरी	गोसाईगॉव	गोसाईगॉव	अ0पि0व0
70	घोसवरी	गोसाईगॉव	गोसाईगॉव	अनारक्षित
71	घोसवरी	घोसवरी	घोसवरी	पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)
72	घोसवरी	घोसवरी	धनकडोभ	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
73	घोसवरी	घोसवरी	धनकडोभ	अनु0 जाति
74	घोसवरी	साम्यागढ़	केवटी	अनारक्षित
75	घोसवरी	साम्यागढ़	मिल्की	अ0पि0व0 (क्षै0 आ0 म0)
76	घोसवरी	त्रिमुहान	बलवा	अनारक्षित
77	घोसवरी	त्रिमुहान	बलवा	पि0 वर्ग
78	घोसवरी	त्रिमुहान	दौलतपुर त्रिमुहान	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
79	मोकामा	मेकरा	मेकरा	अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0)
80	मोकामा	कन्हार्पुर	कन्हार्पुर	अनारक्षित
81	मोकामा	कन्हार्पुर	कन्हार्पुर	अ0पि0व0 (क्षै0 आ0 म0)
82	मोकामा	मोर पूर्वी	मोर (अंशतः)	अनारक्षित
83	मोकामा	दरियापुर	मुरारपुर	अ0पि0व0
84	मोकामा	दरियापुर	दरियापुर (सी0 टी0)	अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)
85	मोकामा	मरौंची दक्षिणी	मरौंची (अंशतः) दक्षिणी	अनु0 जाति
86	मोकामा	मरौंची दक्षिणी	मरौंची (अंशतः) दक्षिणी	अनारक्षित
87	मोकामा	कसहा दियारा	दियारा मरौंची उर्फ कसहा	पि0 वर्ग
88	मोकामा	नौरंगा जलालपुर	जलालपुर नौरंगा	अनारक्षित
89	मोकामा	नौरंगा जलालपुर	पचमहला	अ0पि0व0 (क्षै0 आ0 म0)

नोट: (1)–बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016, के अधीन उचित मूल्य की दुकान के लिए विनिर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में वर्णित विन्दुओं से संबंधित साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोट: (2)– अनारक्षित (क्षै0 आ0 म0)–अनारक्षित (क्षैतिज आरक्षण महिला),  
पि0 वर्ग (क्षै0 आ0 म0)–पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षण महिला),  
पि0 वर्ग–पिछड़ा वर्ग,  
अ0 पि0 व0 (क्षै0 आ0 म0)–अत्यंत पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षण महिला),  
अ0 पि0 व0–अत्यंत पिछड़ा वर्ग,  
अनु0 जाति (क्षै0 आ0 म0)–अनुसूचित जाति (क्षैतिज आरक्षण महिला),  
अनु0 जाति–अनुसूचित जाति,  
अनु0 ज0 जाति–अनुसूचित जन जाति,  
पि0 व0 महिला–पिछड़े वर्ग की महिला,

निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिनांक-27.07.2017 को  
प्रकाशन हेतु ज्ञापांक-4699 दिनांक-26.07.2017 द्वारा  
निर्गमादेश ।

DAINIK JAGRAN, PATNA  
PRABHAT KHABAR, PATNA